भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 200
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना

†200. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान), आरएमएसए (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) और टीई (शिक्षक शिक्षा) को समाहित करके स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना, पीएम-श्री समग्र शिक्षा योजना को क्रियान्वित कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 को क्रियान्वित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;
(ग) क्या सरकार ने देश के कुछ राज्यों को उक्त योजना के अंतर्गत कोई धनराशि जारी नहीं की है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से देश में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। समग्र शिक्षा, पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से देखती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान

और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने तथा समग्र शिक्षा योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के माध्यम से योजना में शामिल सभी मध्यवर्तनों के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से किया जाता है और तदनुसार मानदंडों के अनुसार निधियाँ आवंटित की जाती है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत निधियाँ वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर जारी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल केन्द्रीय निधियाँ अनुलग्नक में दी गई है।

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य डॉ. गणपति राजकुमार पी द्वारा "स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना" के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल केंद्रीय निधियाँ निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5651.44	5527.59	6052.36
2.	आंध्र प्रदेश	150359.02	128940.788	124010.57
3.	अरुणाचल प्रदेश	25229.47	47503.49	57585.11
4.	असम	208086.22	181046.93	202677.34
5.	बिहार	355459.46	424173.08	421781.44
6.	चंडीगढ़	10979.21	11636.31	11858.37
7.	छत्तीसगढ	82800	77659.06	83065.84
8.	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	6466.66	4130.25	5462.65
9.	दिल्ली	22193.92	14608.83	38539.03
10.	गोवा	2985.77	1875.43	1633.61
11.	गुजरात	132125.03	113253.16	124554.05
12.	हरियाणा	67021.33	57880.24	53643.94
13.	हिमाचल प्रदेश	55160.13	48596.96	52619.99
14.	जम्मू एवं कश्मीर	36497.18	86543.88	82349.31
15.	झारखंड	115451.63	110493.28	107444.41
16.	कर्नाटक	86152.48	82808.79	86830.33
17.	केरल	17815.99	14165.74	0.00
18.	लद्दाख	1489.36	5222.63	13999.80
19.	लक्षद्वीप	432.99	100.05	306.10
20.	मध्य प्रदेश	193928.88	298151.13	343471.12
21.	महाराष्ट्र	90000	100119.1	112624.52
22.	मणिपुर	40475.7	25721.89	46559.15
23.	मेघालय	37515.29	39418.22	36282.56
24.	मिजोरम	14268.09	27414.06	21651.76
25.	नागालैंड	28104.49	23125.34	21140.50

26.	ओडिशा	183666.84	123660.69	167239.29
27.	पुदुचेरी	1527.52	1247.37	1246.03
28.	पंजाब	60504.93	33111.65	67813.14
29.	राजस्थान	213861.12	320289.45	309065.25
30.	सिक्किम	10718.96	13260.51	12273.95
31.	तमिलनाडु	210723.33	187615.54	0.00
32.	तेलंगाना	114251.02	92012.79	98878.94
33.	त्रिपुरा	28672.54	34132.90	42002.98
34.	उत्तर प्रदेश	381975.27	427645.13	626479.22
35.	उत्तराखंड	70438.94	44056.91	64678.27
36.	पश्चिम बंगाल	152204.21	31129.41	0.00
	कुल	**3215194.42**	**3238278.58**	**3445820.91**
